न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद

उपस्थितः ज्ञान प्रकाश तिवारी–प्रथम..... एच०जे०एस०,

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 1452/2021

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1724/2021]

[**CNR No. UPFZ**010046292021]

रोहित पाठक उर्फ आदित्य पाठक पुत्र विजय प्रकाश पाठक, निवासी ग्राम पठखौली, कादीपुर, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद/अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

.....

1. प्रार्थी/अभियुक्त रोहित पाठक उर्फ आदित्य पाठक की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 1452/2021, सम्बन्धित अपराध संख्या 196/2021, अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद/अयोध्या के मुकदमें में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो दाखिल है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा गया प्रसाद मिश्रा का यह कथन है कि वादी ने अपनी पुत्री पुष्पा की शादी दिनांक 29.01.2015 को विजय प्रकाश पाठक के पुत्र रोहित पाठक से किया था। ससुराल वाले आये दिन पुत्री को तंग करना एवं पैसों की डिमाण्ड करना शुरू कर दिये एवं दिनांक 14.05.2021 को पुत्री को करण्ट लगाकर खत्म कर दिये। इनके पड़ोसी ने वादी को फोन पर सूचना दिया, जिस पर सब लोग इनके घर आये तो वहां पुत्री की लाश मिली। घटना में पति रोहित पाठक उर्फ आदित्य पाठक, देवर मोहित पाठक, ससुर विजय प्रकाश पाठक एवं सास शामिल हैं।

5. वादी की तहरीर के आधार पर थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद/अयोध्या में अभियोग अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त विचारण हेतु आरोपपत्र प्रेषित है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से अपने इस प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। मृतका के शरीर पर बिजली के करेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की चोट नहीं है। मृतका की मृत्यु केवल आकस्मिक दुर्घटना है। उसके द्वारा मृतका अथवा

उसके परिवार वालों से कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही उसे प्रताड़ित किया गया। सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत है। वह अपनी जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का यह कहकर विरोध किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दहेज की मांग की गयी एवं मृतका को प्रताड़ित किया गया तथा उसकी दहेज हत्या कारित की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

8. सुना तथा प्रस्तुत की गयी केस डायरी का परिशीलन किया।

9. प्रस्तुत मामला मृतका पुष्पा को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं उक्त मांग की पूर्ति में उसकी दहेज हत्या करने के अभियोग से सम्बन्धित है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसके द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका को दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया एवं फलस्वरूप उसकी दहेज हत्या कारित की गयी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर मृत्युपूर्व की कुल 05 चोटें शरीर के विभिन्न भागों में इलेक्ट्रिक करेन्ट/बर्न की आना एवं मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व इलेक्ट्रिक करेन्ट लगने की वजह से होना अंकित है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर असामान्य परिस्थितियों में होना कहा गया है। सह अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का संतोषजनक आधार नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रोहित पाठक उर्फ आदित्य पाठक की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 1452/2021, सम्बन्धित अपराध संख्या 196/2021, अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा०दं०सं० तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद/अयोध्या के अभियोग में आधार पर्याप्त न होने के कारण खारिज किया जाता है।

(ज्ञान प्रकाश तिवारी–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश
फैजाबाद
JO CODE: UP05448

दिनांकः 23.09.2021